

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 3-2/2006/50-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1/2/13

1. आयुक्त, महिला सशक्तिकरण/एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल ।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषय: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देशों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन ।

संदर्भ: जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा का पत्र क्रमांक 4218/मबावि/आईसीडीएस/2012, दिनांक 18-10-2012.

सन्दर्भित पत्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देश क्रमांक एफ 3-2/06/50-2, दिनांक 10-07-2007 की कंडिका अ-1(2) "आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये" में संशोधन चाहा गया है ।

तदनुसार उक्त कंडिका अ-1(2) में निम्नानुसार संशोधन/छूट निर्धारित अवधि के लिए प्रदान की जाती है :-

आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये के स्थान पर आवेदिका संबंधित ग्राम के रजरे/फालिया/टोला/ढाने/नगरीय क्षेत्र के वार्ड के स्थायी निवासी होना चाहिये के सम्बन्ध में "संशोधन/छूट केवल 1231 नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति हेतु दिनांक 31-03-2013 तक मान्य होगी" ।

D:\MAHENDRA\Letter 2012.doc


आयुक्त/स.ज.वि.
दिनांक.....

318
SDIAS
1
7/2012/11/15

बेटी है तो कल है

उक्त छूट सिर्फ एक बार दिनांक 31-03-2013 की अवधि के लिए दी जा रही है ।
इसके पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण
कर ली जावे अन्यथा की स्थिति में उक्तानुसार शिथिलता मान्य नहीं होगी ।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



अवर सचिव, 1/2/13

मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग